कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्याः 167/6/ प्राधि.   दिनांक 07, जनवरी, 2019

समस्त सचिव,
सहकारी गन्ना समितियां,
उत्तर प्रदेश।

बिषयः सेवाकाल में मृत समिति कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति से सम्बन्धित अभिलेखों को पूर्ण कराया जाना।

उपर्युक्त विषयक आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि, सहकारी गन्ना समितियों के सेवाकाल में मृत सामयिक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति हेतु जो प्रस्ताव आप द्वारा जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष, जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रेषित किये जा रहे हैं, के साथ अभिलेखीय साक्ष्य/सूचनाएं अपूर्ण रहती हैं, जिसके कारण सामयिक कर्मचारियों के मृतक आश्रितों की नियुक्ति के प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः उक्त प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता बनाये रखने एवं मृत सामयिक कर्मचारी आश्रितों को तत्काल लाभ दिये जाने के दृष्टिगत पूर्व निर्धारित 14 बिन्दुओं की सूचना के साथ–साथ निम्न अभिलेखीय साक्ष्यों को संलग्न करना सुनिश्चित करें:

1. मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र जिसमें आवेदन की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो।
2. मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।
3. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वारिसान प्रमाण–पत्र।
4. मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता के पक्ष में परिवार के अन्य सभी वारिस सदस्यों द्वारा दिया गया अनापत्ति शपथ पत्र फोटो सहित, मूलरूप में।
5. मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु आवेदनकर्ता का शपथ पत्र कि, "मृतक आश्रित नियुक्ति के उपरान्त वारिस प्रमाण–पत्र में अंकित विधवा माँ एवं आश्रित सदस्यों के भरण--पोषण की पूर्ण जिम्मेदारी उसकी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो उसके वेतन से न्यूनतम 1/2 भाग की कटौती करके विधवा माँ एवं आश्रित सदस्यों को दे दिया जाय।"
6. मृतक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है अथवा नहीं है, की स्थलीय जांच करते हुए प्रमाण–पत्र।
7. तहसील से निर्गत आय प्रमाण–पत्र।
8. शैक्षिक योग्यता प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
9. मृतक कार्मिक की सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, भविष्य में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यदि अभिलेखों/सूचनाओं के प्रेषण में आपके स्तर से त्रुटि की जाती है तो सम्बन्धित पटल सहायक एवं आपका उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
गन्ना आयुक्त एवं अध्यक्ष,
राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण, उ.प्र.।

पृष्ठांकन संख्याः 167/C /प्राधि.   तद्दिनांक–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/अध्यक्ष, क्षेत्रीय गन्ना सेवा प्राधिकरण,उ.प्र.।
2. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/अध्यक्ष, जिला गन्ना सेवा प्राधिकरण, उ.प्र.।

4/1/19

(डा.वी.बी.सिंह)

संयुक्त गन्ना आयुक्त एवं सचिव,

राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण,उ.प्र.।